



राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक-प. 1(67)परि./स्था./2020 1905) जयपुर, दिनांक 03.07.2020

समस्त चयनित अभ्यर्थी
(संलग्न सूची अनुसार)

विषय:- कनिष्ठ सहायक सयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलाग के पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिकअप किये गये चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज एवं स्वास्थ्य जाँच के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित व प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय द्वारा परिवहन विभाग, राजस्थान के लिए आवंटित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने समस्त वांछित मूल दस्तावेज (परिशिष्ट 'अ' के अनुसार Self attested प्रति के साथ) व परिशिष्ट 'ब', 'स' व 'द' की पूर्ति कर दिनांक 09.07.2020 को प्रातः 11.00 बजे परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर के कमरा नं. 107 में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हों।

उक्त के अतिरिक्त अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रमाणित करवा कर वह भी साथ लावें।

दस्तावेज सत्यापन किये जाने के पश्चात उसी दिवस प्रथम नियुक्ति हेतु जिला/जिले में स्थान आवंटन के लिए मेरिट के अनुसार काउंसलिंग की जायेगी। काउंसलिंग में वरियता प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित संलग्न परिशिष्ट 'क' के क्रमानुसार होगी। यदि किसी वरियता क्रम में आप आते हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र सत्यापन की तिथि से पूर्व भिजवायें।

दस्तावेज परीक्षण/चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने व पुलिस वेरिफिकेशन के पश्चात ही आपको नियुक्ति संभव होगी। दस्तावेज सत्यापन के लिए आने पर आपको कोई यात्रा भत्ता व्यय अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

पत्र व सूची विभाग की वेबसाइट-www.transport.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(अमृता चौधरी)
उप परिवहन आयुक्त(प्रशा.)

- संलग्न: 1. परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'स' 'द'
2. अभ्यर्थी सूची



कनिष्ठ सहायक सयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलाग के पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिकअप किये गये चयनित अभ्यर्थियों की सूची:-

क्रं सं	मेरिट संख्या	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने की तिथि
1	17726	हंसराज कटूमबरिया	कालु राम कटूमबरिया	08.10.1991	अनुसूचित जाति	09.07.2020
2	17744	प्रियशील दरबार	यशवंत सिंह	22.11.1989	अनुसूचित जाति	09.07.2020
3	17762	रवि कांत	हरि लाल	30.06.1993	अनुसूचित जाति	09.07.2020
4	17801	पुष्पेन्द्र जाटव	भगवान सिंह जाटव	15.01.1998	अनुसूचित जाति	09.07.2020
5	17813	कैलाश चंद बैरवा	छोटू राम बैरवा	15.08.1990	अनुसूचित जाति	09.07.2020

काउंसलिंग में वरियता क्रम

1. दिव्यांगजन
2. विधवा
3. परित्यक्ता
4. एकल महिला
5. भूतपूर्व सैनिक
6. उत्कृष्ट खिलाड़ी
7. पति-पत्नी प्रकरण
8. शहीद परिवार का आश्रित हो
9. अभ्यर्थी के माता-पिता अथवा पति-पत्नी असाध्य रोग से ग्रस्त हो
10. अन्य किसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिले/जिले में स्थान में रहना आवश्यक हो
11. शेष अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में

परिशिष्ट-अ

1	सैकण्डरी	
2	सीनियर सैकण्डरी	
3	स्नातक	
4	अधिस्नातक	
5	अन्य योग्यता	
6	कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र	
7	जाति प्रमाण पत्र	
8	अन्तिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र	
9	दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पूर्व की तिथि का न हो) शिक्षण स्थान के अधिकारियों के मान्य नहीं	
10	धूमपान न करने संबंधी शपथ पत्र (साधारण कागज पर)	
11	विवाह शपथ पत्र (प्रमाण पत्र हो तो सत्यापित प्रति) - परिशिष्ट-ब	
12	01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने/न होने का शपथ पत्र परिशिष्ट-स	
13	दहेज न लेने का शपथ पत्र - परिशिष्ट-द	
14	पत्र व्यवहार का पता	
15	मूल निवास प्रमाण पत्र	
16	पते का प्रमाण पत्र, यथा-बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल, आधार कार्ड, वाहन लाईसेंस	
17	अनापत्ति प्रमाण पत्र (राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए)	

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(विवाह शपथ-पत्र)

प्रपत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती निवासी..... शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी के साथ दिनांक को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं अविवाहित हूँ।

या

मैं विधुर/विधवा हूँ (पत्नी/पति श्री/श्रीमती)

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री के साथ दिनांक को सम्पन्न हुआ था।

हस्ताक्षर
शपथकर्ता

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(संतान शपथ-पत्र)
घोषणा पत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

मैंपुत्र/पुत्री श्री रोल नं. है,
लिपिक ग्रेड-आ, भर्ती परीक्षा, 2018 में लिपिक ग्रेड-आ के पद पर अभिस्तावित हुआ/हुई हूँ।

1. दिनांक 31.5.2002 तक मेरे बच्चों की संख्या थी।
क्र.सं. नाम जन्म तिथि

2. दिनांक 01 जून, 2006 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

दिनांक 1 जून, 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या है।

क्र.सं. नाम जन्म तिथि

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :

पद : लिपिक ग्रेड-आ

रू.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें
विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि राजस्थान
कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-आ, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018 में लिपिक
ग्रेड-आ के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह दिनांक को हुआ। विवाह के समय मेरे घर वालों ने न तो
दहेज लिया है/न ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी
एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो
मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता यथा संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक
(ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी
जिम्मेदार रहूंगा।

(नाम-.....)

घोषण-कर्ता

स्थान :-

दिनांक :-.....

साक्षी

ससुराल पक्ष पिता की ओर से

1. हस्ताक्षर 1. हस्ताक्षर

नाम नाम.....

पता पता.....

2. हस्ताक्षर 2. हस्ताक्षर

नाम नाम.....

पता पता

रू.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें
अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मुझे
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-आ, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018
में लिपिक ग्रेड-आ के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे घर वाले
ना तो दहेज लेंगे/ना ही देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी एवं
ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी
नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं प्रार्थी
जिम्मेदार रहूंगा।

(नाम-.....)
घोषण-कर्ता

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

साक्षी

1. हस्ताक्षर 1. हस्ताक्षर

नाम नाम.....

पता पता.....